OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

Electoral Reforms and India Democracy

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

Published by:

Indra Publishing House
E-5/21, Arera Colony,
Habibganj Police Station Road,
Bhopal 462016
Phone: +91 755 4059620, 4030921
Email : manish@indrapublishing.com
pramod@indrapublishing.com
Web. : www.indrapublishing.com

Copyright © 2022 पंडित कुजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ
All Rights Reserved

Title : भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ एवं समाधान
Text Design : Pramod Singh & Creative Team
First Print : 2022

ISBN : 978-93-93577-00-9

Printed & Published by Mr. Manish Gupta for Indra Publishing House, E-5/21, Arera Colony, Habibganj Police Station Road, Bhopal 462016 INDIA.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the author. Any person who does any unauthorized act in relation to this publication may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

Information contained in this work is obtained by the publishers from sources believed to be reliable. The publisher and its authors make no representation or warranties with respect to accuracy or completeness of the contents of this book and shall not be liable for any errors, omission or damages arising out of use of this information. Dispute if any related to this publication is subject to Bhopal Jurisdiction.

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in ☎9893076404

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृ.सं.
1	भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियाँ : जातीवाद की प्रतिगामी राजनीति	डॉ. उत्तम सिंह चौहान	01
2	भारतीय संसद में महिलाएं	डॉ. विद्या शंकर विभूति	15
3	सामाजिक असमानता और गरीबी: लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती (वैश्विक संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन)	प्रो. (डॉ.) वीरेंद्र कुमार व्यास	20
4	भारत में चुनाव व चुनाव सुधार	डॉ. शिशु पाल सिंह	27
5	Social Inequality In Contemproray India – A Study With Special Refference To The Transgender Community	Vidhi Shambharkar	35
6	सामाजिक असमानता और गरीबी	डॉ. भुवनेश्वरी स्वामी	41
7	चुनाव सुधार एवं भारतीय लोकतंत्र	डॉ.सविता यादव	49
8	भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में राज्यों की राजनीति केन्द्र राज्य संबंधों के विशेष संदर्भ में	डॉ. सर्वेश्वर उपाध्याय	54
9	भारतीय लोकतंत्र के विकास में केन्द्रीय गठबंधन सरकारों की भूमिका	डॉ. नियाज अहमद अंसारी	59
10	आदिवासी समाज और उनका संसदीय प्रतिनिधित्व, सत्रहवीं लोकसभा के विशेष सन्दर्भ में	डॉ. राजबहादुर मौर्य	65
11	सामाजिक असमानता और गरीबी	रामअवध सिंह यादव डॉ. उमारतन यादव	72
12	संसदीय लोकतंत्र की धूमिल होती मर्यादाएँ और उभरती चुनौतियाँ	डॉ. अनुपमा यादव	79
13	लोकतंत्र और भारतीय भाषाएं	डॉ. नावेद जमाल	83
14	लोकतन्त्र में महिलाओं की सहभागिता एवं नेतृत्व का संकट	डॉ. सुरेश काग	86
15	Social Inequality And Poverty	Dr. Neerja Batle	90
16	"राजनीति का अपराधीकरण"	आनन्द बाजपेयी	97
17	चुनाव सुधार एवं भारतीय लोकतंत्र	कमलेश कुमार चांवले	106
18	भारतीय लोकतंत्र और आर्थिक चुनौतियाँ	डॉ. कंचन श्रीवास्तव	112
19	चुनाव सुधार एवं भारतीय लोकतंत्र	डॉ. गीता सराफ	116
20	भारतीय मीडिया विश्वसनीयता का संकट	डॉ. एम.एन. स्वामी	119
21	लोकतंत्र के आइने में स्त्री का यथार्थ	डॉ. सुमन अग्रवाल	122
22	वैदिक काल में संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा	डॉ. ज्योति वर्मा	128
23	राजनीति का अपराधीकरण	डॉ. कृष्णदास द्विवेदी प्रो.मनीष मिश्र	134
24	Criminalization Of Politics As A Challenge To Indian Democracy	Ms.Ranjeet Kaur	136

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

चुनाव सुधार एवं भारतीय लोकतंत्र

कमलेश कुमार चांवले[1]

अब्राहम लिंकन की यह परिभाषा एक आदर्श वाक्य बन चुका है कि जनता का; जनता द्वारा और जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र को जीवंत रखने की अनिवार्य शर्त स्वस्थ्य जनादेश है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यो को बनाए रखने के लिए एक निश्चित समयावधि में स्वस्थ्य जनादेश का होना आवश्यक है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी हमने भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए यह और भी आवश्यक हो गया है कि होने वाला चुनाव निष्पक्ष , पारदर्शी और दबावो से मुक्त हो। क्योकि इनके होने से ही लोकतंत्र बना रह सकता है।

जिस तरह हम किसी पर्व के निकट आने पर अपनी दैनिक जीवन की कश-मकश एवं समस्याओ को भूलकर स्वयं को उल्लासित महसूस करते है। उसी तरह लोकतंत्र भी प्रत्येक चुनाव के बाद अपने आप को उल्लासित एवं पुनर्जीवित महसूस करता है। हमारे देश में लोकतंत्र को बनाये रखने के लिये एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और दवावो से मुक्त संवैधानिक निकाय की आवश्यकता हमारे संविधान निर्माताओ ने महसूस की थी और इसे ध्यान में रखते हुए संविधान को पूर्णरूप से लागू होने के एक दिन पूर्व 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया है। संविधान निर्माताओ की अपेक्षा के अनुरूप हमारे देश को गणतांत्रिक बनाये रखने में चुनाव आयोग सफल भी रहा है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका को स्वीकार करते हुए ही 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्हे बखूबी निभाया है। फिर भी बदलते परिस्थितियों के अनुरूप सुधार की गुंजाइश सभी में होती हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने भी समय-समय पर चुनाव प्रक्रिया में अनेक सुधार किए है।

1950 के दशक में जब हमने अपनी लोकतांत्रिक सफर की शुरूआत की थी, तब राजनीति में आज की तरह परिस्थितियां या चुनौतियां नही थी। उस समय स्वतंत्रता संग्रम की पृष्ठभूमि के कारण राजनीति में भी स्वच्छता और नैतिकता का बोलबाला था। हमारे स्वतंत्रता संग्रम से हमें चरित्रवान एवं निष्ठावान लोग मिले थे, जो उस समय चुनाव में हिस्सेदारी करते थे। तत्कालीन समय में राजनीति साफ-सुथरी थी, इसीलिए चुनावों में हिंसा एवं अपराध जैसी कोई घटना हमें दिखाई नहीं देती है। इसीलिए उस काल को भारतीय राजनीति का

1. सहायक प्राध्यापक – राजनीति विज्ञान शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in ☎9893076404

स्वर्णकाल कहा जाता हैं । किन्तु बदलते समय के साथ भारतीय राजनीति का स्वर्णकाल भी समाप्त हो गया । और भारतीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले दागी उम्मीदवारो का प्रवेश प्रारंभ हो गया , जो अपने बाहुबल एवं धनबल का प्रयोग कर राजनीतिक दलो से टिकट प्राप्त कर चुनाव में विजयी भी हो जाते थे । हमारे लोकतंत्र की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आया , जब कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा कि 'बैलेट' अर्थात मतदान के स्थान पर 'बुलेट' अर्थात गोली का प्रभाव बढने लगा है । उसी समय यह भी देखने को मिला कि कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के प्रमुख सत्ताधारी लोग चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने के लिए अपने पद एवं शक्तियों का दुरूपयोग करने लगें थे। इन्ही सब के कारण चुनाव आयोग की चिंताएं भी बढने लगी और चुनाव आयोग ने चुनाव की पद्वति या प्रकिया में बुनियादी सुधार करने की आवश्यकता महसूस की ।

चुनाव सुधारो पर अध्ययन करने के लिए 1980 के दशक मे महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीश वी एम तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन जय प्रकाश नारायण द्वारा गठित सिटीजन आफ डेमोक्रेसी नामक संगठन द्वारां किया गया था। इस समिति के सुझाव पर 1988 में 61वा संविधान संशोधन कर मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था ।

चुनाव आयोग ने यथासंभव अनेक बुनियादी चुनाव सुधार किए है, जिससे कि चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों से राजनीति एवं लोकतंत्र को बचाया जा सके। इन्ही सुधारों की कडी में पांचवे लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग ने पहली बार 1971 में आदर्श आचार संहिता जारी किया, जिसमें सभी राजनीतिक दलो और प्रत्याशियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि चुनावों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारको के प्रभाव से बचाया जा सकें। समय-समय पर चुनाव आयोग ने बदलती परिस्थितियों के अनुरूप इस आदर्श आचार संहिता में अनेक परिवर्तन भी किया है। 1989 में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों का आयोग के पास पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इससे आयोग को दलो के सदस्यों की संख्या, कार्य प्रक्रिया एवं उददेश्यो के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। जिससे चुनाव प्रबंधन में सहजता हुई है।

एक तरफ जहां चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी बनाने के लिए प्रयासरत था, वही दूसरी ओर राजनीतिक दल और प्रत्याशियों ने भी चुनाव में धोखाधडी और हेरफेर के नए-नए रास्ते अपनाने लगे थे। फर्जी मतदान की घटनाएं निरंतर बढ रही थी, मत पेटियो को लूटने, उनमें पानी डालकर चुनाव को बाधित करने की घटनाएं पूरे देश से प्राप्त हो रही थी। चुनाव आयोग के अनेक प्रयासो के बाद भी चुनावो में हिंसा का दौर कम नहीं हो रहा था । कुछ समय के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि हमारी संसदीय व्यवस्था से आम नागरिको का विश्वास डगमगाने लगा है और हमारा लोकतंत्र अब भीडतंत्र में परिवर्तित हो रहा है। यह हमारे चुनाव आयोग के लिए संक्रमण काल के समान था। 1991 में टी एन शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के होने से संक्रमण का यह दौर भी छटने लगा। उनका कार्यकाल कुछ बुनियादी सुधारो के लिए आज भी याद किया जाता है। जो राजनीतिक दल व प्रत्याशी पहले चुनावो का माखौल उडाकर लोकतंत्र की मर्यादाओ का हनन कर रहे थे, उनके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए । इन्होने आदर्श आचार संहिता का पालन न करने वाले प्रत्याशियो को 6 साल तक चुनाव लडने से अयोग्य घोषित करने का सुझाव भी दिया। उन्ही के प्रयासो के फलस्वरूप चुनाव में मतदाता परिचय पत्र को अनिवार्य किया जा सका हैं। 1993 से 18 वर्ष से अधिक आयु

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

के प्रत्येक मतदाता को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किया जाने लगा है। प्रत्येक मतदाता को फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने की सिफारिश सर्वप्रथम 1981 में चुनाव आयुक्त श्याम लाल शकधर द्वारा किया गया था। इससे फर्जी मतदान पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है।

चुनाव सुधारो के जो मार्ग टी एन शेषन ने अपनाया था, अन्य चुनाव आयुक्तो ने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया । चुनावो मे बढते हुए धनबल के प्रभाव को रोकने के लिए चुनावो में प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा किए जाने वाले खर्च की सीमा निश्चित कर दी गई। इससे नोट के लिए वोट वाली जो अपसंस्कृति फैल रही थी, उस पर काफी हद तक लगाम लगाया जा सका है। इसके साथ ही चुनाव के समय होने वाले शोर-शराबे और अराजकता को भी आयोग द्वारा नियंत्रित किया गया है। चुनाव प्रचार की अवधि घटाकर दो सप्ताह कर दी गई है। अब अधिकारिक तौर पर प्रत्याशियो की अंतिम सूची जारी होने से लेकर चुनाव की तारीख से ठीक 48 घण्टे पहले तक चुनाव प्रचार का समय दिया गया है। इससे राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के बहाने की जाने वाली अभद्रता व अराजकता को भी कम करने में सहायता मिली है। इससे आम जनता को भी राहत महसूस हुआ है, आम जनता को चुनाव प्रचार के नाम पर उनके दीवारो को रंगे जाने, मनमानी तरीके से बैनर पोस्टर आदि लगाए जाने एवं सुबह से देर रात तक जारी रहने वाली चुनावी सभाओ से भी निजात मिली है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने के समय जो बल प्रदर्शन किया जाता था, उसे भी चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित करने के लिए नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ उपस्थित रहने वाले अधिकतम सहयोगियों की संख्या निश्चित की गई है। आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में संपन्न करवाने का निर्णय लेने से प्रबंधन एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मददगार साबित हुआ है। आयोग द्वारा चुनाव के पश्चात होने वाले विजय जुलूसों पर भी पाबंदी लगाने का प्रयास किया गया है।

चुनाव आयोग ने सुधारो के क्रम में आगे बढते हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी सुधारो पर भी ध्यान दिया है। तकनीकी सुधार का पहला कदम 1982 में केरल के 70- पारूर विधानसभा चुनाव में उठाया गया। इसमें पहली बार इलेक्ट्रानिक वॉटिंग मशीन (ई.व्ही.एम.) का उपयोग किया गया। यह प्रयोग चुनाव सुधारो के क्रम में बहुत सफल साबित हुआ है। इससे चुनाव में मुख्य रूप से दो फायदे मिले है, एक तो इसके इस्तेमाल से मतपत्रों के मुद्रण एवं परिवहन का खर्च कम हो गया है और दूसरा इसके इस्तेमाल से चुनाव में फर्जी मतदान पर भी बहूत हद तक अंकुश लगाया जा सका है। इसीलिए देश में सभी चुनावो में अब इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के द्वारा ही चुनाव कराया जा रहा है।

1990 में चुनाव सुधार हेतु तत्कालीन विधि मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर कब्जा किए गए मतदान केन्द्रो पर पुनः मतदान कराने की व्यवस्था की गई, चुनाव की सीटो में आरक्षण हेतु चक्रानुक्रम पद्धति अपनायी जाने लगी एवं सभी मतदाताओ को निशुल्क फोटो युक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराई जाने लगी।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन कृष्णमूर्ति द्वारा प्रस्तुत नकारात्मक मत की अवधारणा को साकार करने में ई.व्ही.एम. ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही-है। ई.व्ही.एम. मशीन में नोटा का बटन जुड जाने से आम जनता को राइट टू रिजेक्शन का एक अतिरिक्त अधिकार भी मिल गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

...रा नोटा के बटन का समर्थन किया है। वैसे तो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 49 में भी ये प्रावधान था कि यदि किसी मतदाता को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारो मे से कोई भी पसंद नही है, तो वह मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी को इसकी जानकारी देकर मत देने से मना कर सकता है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदाता से एक अतिरिक्त फार्म फरवाया जाता था, इसे ही नकारात्मक मत माना जाता था। किन्तु इससे मतदाता की पहचान उजागर हो जाती थी और मतदान की गोपनीयता समाप्त हो जाती थी। ई.व्ही.एम. में नोटा का बटन जुड जाने से आम जनता को नकारात्मक मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

22 मई 1998 में कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति ने चुनाव मे धनबल के प्रभाव को रोकने के लिए एक सार्वजनिक कोष की स्थापना की सिफारिश किया गया है।

चुनाव आयोग द्वारा तकनीकी प्रगति के क्रम में 1998 में मतदाता सूची के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अपनी स्वयं की वेबसाइट का निर्माण किया है और इसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आने लगे है। अब एक आम मतदाता भी आसानी से मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। चुनाव के अद्यतन परिणाम एवं चुनाव की कोई भी जानकारी प्रत्येक मतदाता तक आसानी से पहुंच पा रही है, इससे चुनाव आयोग के प्रचार-प्रसार मे लगने वाले खर्च में भी कमी आई है।

इसी क्रम में चुनाव में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई.व्ही.एम. के साथ ही वोटर वेरीफिएबल पेपर आडिट ट्रेल (व्ही.व्ही.पी.ए.टी.) की शुरूआत 2013 से की गई है । सर्वप्रथम नागालैंड में नोकसेन विधानसभा उपचुनाव में इसका प्रयोग 4 सितंबर 2013 में किया गया। इस प्रणाली के माध्यम से मतदाता अपने मत का भौतिक सत्यापन आसानी से कर सकता है एवं व्ही. व्ही.पी.ए.टी में प्राप्त मतपत्रों की गणना किए जाने से चुनाव परिणामों की वैधता भी सत्यापित किया जा सकता है।

राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदा लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए संसद द्वारा निर्वाचन कानून संशोधन अधिनियम 2003 बनाया गया है। इस अधिनियम द्वारा सैन्यकर्मियो को चुनाव में प्राक्सी मतदान का अधिकार भी प्रदान किया गया है, इसके द्वारा वे अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना मतदात कर सकते है।

जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राज्य विधानपरिषदों के चुनावों में खुली मतदान व्यवस्था का प्रावधान किया गया है । इसके अंतर्गत प्रत्येक राजनीतिक दल के सदस्यो को अपना मत डालने के बाद मतपत्र संबंधित राजनीतिक दल के एजेंट को दिखाना अनिवार्य किया गया है। इस अधिनियम द्वारा अब विधानपरिषद का उम्मीदवार बनने के लिए संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव पद्धति एवं प्रक्रिया में अनेक सुधार किए जाने के बावजूद भी राजनीति के अपराधीकरण की समस्या आज भी बनी हुई है। वर्तमान 17वी लोकसभा में भी 233 सांसदो और मध्यप्रदेश विधानसभा 94 विधायको पर आपराधिक मामले दर्ज है । पूरे देश में 4442 पूर्व सांसद एवं विधायको के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। 2556 वर्तमान सांसद एवं विधायक दागी है। इनमे से 1460 ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा भी की है । वही 688 प्रत्यासियो के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 24 सांसद एवं विधायक यह भी घोषणा कर चुके है कि उन्हे आपराधिक मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। साथ ही 0.5% ऐसे भी उम्मीदवार है , जिन्होने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा की अपील

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR
Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)
Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in 9893076404

ऊपरी अदालत में की है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा चंदे का हिसाब पारदर्शी रूप से नही दिए जाने के कारण अभी भी चुनावो मे धनबल का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में बना हुआ है।

वैसे तो चुनाव आयोग ने 1950 से लेकर अभी तक बहुत बुनियादी स्तर पर बहुत सुधार किए है, किन्तु फिर भी चूकि सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए चुनाव आयोग द्वारा कुछ और सुधार भी किए जा सकते है। जैसे

आज के संदर्भ में चुनाव सुधार के क्रम में सबसे पहली जरूरत राजनीति को अपराधीकरण से बचाने की है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने 1998 में ही सरकार से यह सिफारिश की थी कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी अपराध मे 5 साल से अधिक की सजा मिलती है, तो उन्हें चुनाव लडने के लिए अयोग्य करार दिया जाए। किन्तु राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव मे यह सिफारिश लागू नहीं हो पाई । राजनीति मे अपराधिक छवि के लोगो को प्रवेश से रोकने के लिए चुनाव आयोग के साथ-साथ सरकार एवं राजनीतिक दलो की राजनीतिक इच्छाशक्ति भी नितांत आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी 2013 मे निर्णय दिया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के तहत ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है और उसे दो साल से अधिक सजा हुई है, तो वह रिहाई के बाद दो साल तक चुनाव लडने के अयोग्य होगा।

इसी के साथ आयोग को कुछ ऐसे भी उपाय सुनिश्चित करने होंगे जिससे कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर रोक लगाई जा सके ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे चंदे की पूरी राशि पहले आयोग के पास राष्ट्रीय चुनाव फंड में जमा हो और जो कि पूर्णतया करमुक्त हो। प्रत्येक उम्मीदवार को इसी फंड से निर्धारित सीमा के अंदर खर्च करने की अनुमति दी जाए। इससे रातनीति में कालेधन के उपयोग पर अंकुश लगेगा एवं गरीब लोग भी चुनाव लड पायेंगे ।

किसी चुनाव मे विजयी होने के लिए उम्मीदवार को कुल पडे वोटो का न्यूनतम 50 % या उससे अधिक हासिल करने की व्यवस्था को बनाई जा सकती है । ताकि यह साबित हो सके कि विजयी उम्मीदवार वास्तव में जनता का प्रतिनिधि है।

वर्तमान में लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय प्रशासन के चुनावों में अलग-अलग मतदाता सूचियो का निर्माण किया जाता है। चुनाव आयोग को सभी चुनावो के लिए एक समान मतदाता सूची के निर्माण पर विचार करना चाहिए। सभी चुनावो के लिए एक ही मतदाता सूची के निर्माण होने से एक देश एक चुनाव की अवधारणा को मूर्त रून दिया जा सकेगा। इससे अलग-अलग मतदाता सूची के निर्माण में आने वाले व्यय को भी कम किया जा सकेगा। दो अलग-अलग संस्थओ द्वारा मतदाता सूचीयो के निर्माण में काफी अधिक दोहराव एवं मानवीय श्रम का भी व्यय होता है, इससे भी बचा जा सकता है। इसके साथ ही अलग-अलग मतदाता सूची होने से मतदाताओ के बीच भ्रम की भी स्थिति पैदा होती है, क्योकि कई बार एक मतदाता का नाम किसी एक सूची में होता है एवं दूसरी सूची में नहीं होता है। देश के सभी प्रकार के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची के निर्माण का विचार सर्वप्रथम विधि आयोग ने 2015 में अपनी 255वी रिर्पोट में की थी, क्योकि अभी पूरे देश में वन नेशन वन सिस्टम की बात की जा रही है इसलिए वन नेशन वन वोटर आई. डी. कार्ड की प्रकिया को और सशक्त बनाएगी।

चुनाव आयोग को वर्तमान मे प्रचलित दलबदल की प्रक्रिया को रोकने के लिए भी कडे प्रावधान किए जाने की जरूरत है। वैसे तो संविधान की दसवीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून का प्रावधान है, किन्तु यह प्रावधान

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in ☎9893076404

...बदल को रोक पाने मे पूर्णतः सक्षम नही है।

राइट टू रिजेक्ट के साथ ही राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के चुनाव में भी राइट टू रिकाल जैसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

अपराध, जाति, संप्रदाय और भ्रष्टाचार के कारण लोगों की आम समस्याएं जैसे शांति और सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास आदि सभी दरकिनार हो गयी है। इसलिए यह भी जरूरी है कि देश में स्वस्थ्य जनादेश लाने के लिए ऐसे ठोस उपाय सुनिश्चित करने होंगे। जिससे चुनाव में जातिवाद, साम्प्रदायवाद, धनबल, बाहुबल आदि का लाभ राजनीतिक दल या प्रत्याशी न उठा पाएं तभी सच्चे अर्थो में लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति हो पाएगी।

भारत में चुनाव में वुनियादी सुधार हेतु चुनाव आयोग निरंतर प्रयासरत है एवं निरंतर रचनात्मक कार्य कर रही है। जिसका प्रभाव देश में दिखने भी लगा है। चुनाव आयोग आम जनता को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए निरंतर नए-नए कार्यक्रम कर रही है। जैसे - महिलाओ की चुनाव में भागीदारी बढाने हेतु पिंक मतदान केन्द्र का निर्माण, मतदाताओ के जागरूकता हेतु प्रतियोगिता, रैली आदि का आयोजन, प्रत्येक मतदान केन्द्र में बीएलओ (ब्लाक लेवल आफिसर) की नियुक्ति एवं राजनीतिक दलों के समक्ष चुनाव की पारदर्शिता बनाए रखने हेतु बीएलए (ब्लाक लेवल एजेंण्ट)की नियुक्ति की जाने लगी है। आयोग द्वारा निरंतर प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अनेक स्वयंसेवी संगठन भी आम जनता मे जागरूकता फैलाने के लिए प्रयोरत है।

हम उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में जो थोडी- वहुत कमी है, आने वाले समय में सुधार कर चुनाव आयोग द्वारा हमारे देश को विश्व के समक्ष एक उत्कृष्ट लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। चुनाव को लोकतंत्र की गंगा भी कहा जाता है। और यह लोकतंत्र तभी स्वच्छ रहेगा जव यह गंगा निर्मल होगी। हमारे लिए यह सुखद है कि चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय एवं आम नागरिक भी चुनाव की प्रक्रिया को निर्मल वनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। फिर भी सरकार और राजनीतिक दल की ओर से चुनाव सुधार की दिशा में अपेक्षित सहयोग नीहं मिल रहा है। अगर सरकार और राजनीतिक दल भी राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ चुनाव सुधार की ठान ले तो भारत लोकतांत्रिक देश के रूप मे पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बन सकता है। इससे सरकार और राजनीतिक दल भी आम जनता का दिल जीत सकती है। साथ ही आम जनता को भी चुनाव सुधार के लिए निरंतर दवाव बनाते रहने होगा क्योकि लोकतंत्र में जन शक्ति ही सर्वोच्च होती है। हमें चुनाव सुधार के लिए किसी एक संस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, जनमत के स्तर पर भी पहल होती रहनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. योजना मासिक पत्रिका - लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार विशेषांक
2. एनसीईआरटी - लोकतांत्रिक राजनीति
3. समर्थ भारत - प्रभात प्रकाशन :-लोकतंत्र का भारतीयकरण -डॉ. महेश चंद्र शर्मा
4. एम. लक्ष्मीकान्त -पृष्ठ क्रमांक 9.51 से 9.53
5. इग्नू नोट्स - भारत में दलीय प्रणाली और निर्वाचन

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)